

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक : प. 14 (13) सानि/2005

जयपुर, दिनांक 17/5/2016

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 8 अगस्त 2012 के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, रेस्ट हाऊस एवं इन्सपेक्शन बंगलों की आवास दरें एवं शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार संशोधित की जाती हैं। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

यह आज्ञा वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति से उनके आई.डी. संख्या 101601464 दिनांक 04.05.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,
17/5/16
(अन्तर सिंह नेहरा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी/विशिष्ट सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य अभियन्ता (समस्त), सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. संभाग
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त
11. समस्त आधेशापी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
4. पंजीयक राजस्व मंडल, अजमेर।

17/5/16
संयुक्त शासन सचिव

17/5/16

5. जर्नलिस्ट (Generalist) को आवास उपलब्ध होने पर
6. राजकीय कार्य से आने वाले निम्न एसोसिएशन संघों के अध्यक्ष एवं महासचिव:-
 - 1) अखिल राज. राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ
 - 2) राज. राज्य कर्मचारी संघ
 - 3) राज. अधीनस्थ कर्मचारी संघ
 - 4) राज. सचिवालय कर्मचारी संघ
 - 5) राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ
 - 6) राज. भू-प्रबन्ध कर्मचारी संघ
 - 7) राज. पंचायत राज कर्मचारी संघ
 - 8) राज. पटवार संघ
 - 9) राज. लेखा संघ
 - 10) यूनाईटेड राज. बिल्डर्स एसोसिएशन
 - 11) बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

ग्रुप - बी

1. राजकीय कार्य से आने वाले केन्द्रीय सरकार व अन्य राज्यों के अधिकारी
2. अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) के समस्त प्रोबेशन अधिकारी जो भारत दर्शन हेतु आते हैं।
उपरोक्त केवल 13 दिन

ग्रुप - सी

1. अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) के राजस्थान केडर के समस्त प्रोबेशन अधिकारी
2. राजस्थान राज्य सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी
3. ग्रुप ए कालम सं. II में वर्णित समस्त पदाधिकारी अपनी निजी यात्रा या अवकाश के दौरान केवल 10 दिन
4. उक्त बिन्दु सं. 3 में वर्णित पदाधिकारी स्थानान्तरण पर केवल 30 दिवस तक

ग्रुप - डी

1. अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) के राज. केडर के वे समस्त अधिकारी जो सेवानिवृत्त/भूतपूर्व हो गये हैं। केवल 13 दिन
2. वेतनमान 3000-4500 या इससे उच्च वेतनमान के राज. राज्य के वे अधिकारी जो सेवा-निवृत्त /भूतपूर्व हो गये हैं। केवल 10 दिन
3. राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री राज्य मंत्री एवं उपमंत्री केवल 10 दिन
4. राजस्थान राज्य के भूतपूर्व सांसद एवं विधायकगण 1 माह में अधिकतम 5 दिन

ग्रुप - ई

1. प्राईवेट व्यक्ति
2. शेष सभी जिनका उपरोक्त ग्रुप-ए बी, सी एवं डी में उल्लेख नहीं है
3. ग्रुप-ए, बी, सी एवं डी में वर्णित सभी पदाधिकारी व्यक्ति निर्धारित अवधि के पश्चात्



राज्य सरकार द्वारा दसों एवं एनटाइटलमेंट संबंधी अब तक के विभिन्न आदेशों को इकजाई सहिताबद्ध करते हुए निम्न प्रकार से ग्रुप वर्गीकरण किया जाता है।

ग्रुप - ए

I अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्ति

1. भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
2. राज्यपाल
3. मंत्री, राज्यमंत्री एवं उप मंत्री
4. लोकसभा एवं विधान सभा अध्यक्ष
5. उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
6. अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान लोक सेवा आयोग
7. महालेखाकार, राजस्थान
8. अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जावे।

II अधिकारीगण

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) के समस्त अधिकारी
2. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य सेवाओं के समस्त अधिकारी
3. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजपत्रित अधिकारी
4. राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल के अधिकारी राजकीय यात्रा पर।
5. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य एवं जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य
6. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले नगर विकास न्यास, नगर परिषद एवं नगरपालिका के अधिकारी

III अराजपत्रित

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य सरकार के समस्त अराजपत्रित कर्मचारी
2. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले नगर विकास न्यास, नगर परिषद एवं नगरपालिका के अराजपत्रित कर्मचारी

IV जन-प्रतिनिधि

1. राजस्थान से लोक सभा एवं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
2. राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

V अन्य

1. स्वतंत्रता सेनानी
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगरपालिका/नगर परिषद/नगर विकास न्यास [एक बार में 2 दिन एवं एक माह में अधिकतम 5 दिन]
3. प्रधान [एक समय में 5 दिन एवं एक माह में अधिकतम 7 दिन]
4. राज. विश्वविद्यालय के प्राध्यापक परीक्षाओं के सम्बन्ध में राजकीय कार्य पर

Handwritten mark

Handwritten mark

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगलों, रेस्ट हाउस/इन्सपेक्शन बंगलों में ठहरने की दैनिक दरें (रूपयों में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	अधिकृत व्यक्तियों के लिये निर्धारित अवधितक	भारत सरकार व अन्य राज्यों के अधिकारियों के लिये	अधिकृत व्यक्तियों के अवकाश/स्थानान्तरण पर (केवल राजस्थान)	सेवानिवृत्त अधिकारी/भूपू मंत्री/राज्य मंत्री/रूपमंत्री/विधायक/सांसद	प्राइवेट व्यक्तियों के लिये
		गुप-ए	गुप-बी	गुप-सी	गुप-डी	गुप-ई
		नई दरें	नई दरें	नई दरें	नई दरें	नई दरें
1	2	3	4	5	6	7
(क)	डाक बंगला जयपुर एवं माउण्ड आबू					
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	100.00	600.00	140.00	190.00	900.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	100.00	600.00	180.00	190.00	1200.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	180.00	900.00	270.00	385.00	1800.00
4	अतिरिक्त बेड	50.00	240.00	70.00	95.00	300.00
(ख)	डाक बंगला नाथद्वारा					
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	100.00	480.00	120.00	170.00	700.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	140.00	600.00	140.00	215.00	900.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	230.00	900.00	230.00	335.00	1050.00
4	अतिरिक्त बेड	50.00	180.00	70.00	50.00	180.00
(ग)	डाक बंगला राभी जिला मुख्यालय (प.रि.डी.)					
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	70.00	300.00	100.00	145.00	660.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	100.00	420.00	140.00	145.00	900.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	140.00	600.00	230.00	290.00	1050.00
4	अतिरिक्त बेड	50.00	120.00	70.00	50.00	180.00
(घ)	डाक बंगला अन्य सभी स्थानों पर (प.रि.डी.)					
1	एक व्यक्ति (सिंगल बेड कमरा)	50.00	240.00	70.00	95.00	450.00
2	एक व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	50.00	240.00	70.00	95.00	525.00
3	दो व्यक्ति (डबल बेड कमरा)	100.00	480.00	140.00	190.00	900.00
4	अतिरिक्त बेड	50.00	50.00	70.00	35.00	150.00

C.S.
L.H.I.

निम्न सुविधाओं के उपभोग पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा

क्र.सं.	सुविधा	राजकीय				प्राईवेट			
		सिंगल बैड		डबल बैड		सिंगल बैड		डबल बैड	
		वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें	वर्तमान दरें	नई दरें
1	एयर कंडीशनर	90.00	110.00	150.00	180.00	225.00	270.00	300.00	360.00
2	गीजर	30.00	35.00	60.00	70.00	90.00	110.00	120.00	145.00
3	कूलर	30.00	35.00	60.00	70.00	90.00	110.00	120.00	145.00
4	हीटर	90.00	110.00	150.00	180.00	225.00	270.00	300.00	360.00
5	गरम पानी की बाल्टी	15.00	20.00	15.00	20.00	30.00	35.00	30.00	35.00

नोट:-

- उपरोक्त किराया 24 घन्टे की अवधि या उसके किसी भाग के लिये है।
- पार्टीज/समारोह के लिये ओपन लॉन रूपये 15000/- प्रतिदिन एवं डाईनिंग हॉल का किराया रूपये 4500/- प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।
- जिनके लिये कोई दर निर्धारित नहीं की गई है उनके लिये प्राईवेट व्याक्तियों के लिये निर्धारित दरें (कॉलम रो लागू होगी।
- राज्य कार्य से जाने बाबत अधिकृत व्यक्तियों के चार घन्टे से कम अवधि तक ठहरने पर आचारा का किराया नहीं लिया जायेगा।
- (कॉलम-1) के अनुसार देय होगा। जब तक कि राज्य सरकार द्वारा छूट नहीं दी जाये।
- स्थानान्तरण पर 30 दिवस की अवधि से अधिक ठहरने पर निम्नानुसार चार्जज वर्रूल किये जायेंगे
(क) प्रथम तीन माह की अवधि के लिये कमरे का किराया मूल वेतन का 10 प्रतिशत प्रतिमाह
(ख) तीन माह के पश्चात कमरे का किराया मूल वेतन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह।
(ग) स्थानान्तरण पर एक माह की अवधि चाहे वह निरन्तर आवास हो या बीच-बीच में रुक-रुक कर हो सभी उपरोक्त निर्देश लागू होंगे।
(घ) मूल वेतन ले सम्बन्ध में कार्यालय ाध्यक्ष का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकार सचय प्र तुत करेंगे।
- उपरोक्त कॉलम संख्या 1 से 7 में ग्रुप का जो उल्लेख किया गया है उसका आशय परिशिष्ट-बी में वर्णित ग्रुप से है।

C.S.
2017